दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 30 अगस्त 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 331

महत्वपूर्ण एवं खास

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का होगा वीडियोग्राफी सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। श्रीकृष्ण जन्मस्थान- ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने जिला अदालत को सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच की तरफ से ये आदेश दिया गया है। सर्वे के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जनपद के सक्षम अधिकारी भी मौके पर रहेंगे।

परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या, मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा

देहरादून (आरएनएस)। देहरादून में एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है। देहरादून के पास रानीपोखरी में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई। शांति नगर निवासी महेश तिवारी ने अपने पूरे परिवार के पांच सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है की आरोपी मूल रूप से बांदा उत्तर प्रदेश का निवासी है। हत्या की वजह क्या रही होगी ये आरोपी से जानकारी बयान के आधार पर ली जाएगी। मृतकों में 3 बेटी माता व आरोपी की पत्नी शामिल है। आरोपी ने चाकू से वार कर सभी को मौत को घाट उतार दिया। रानीपोखरी नागाधेर में परिवार के लोगों की हत्या करने का आरोपी कई सालों से नागा घेर में रह रहा था। प्रधान सुधीर रतूड़ी ने बताया कि आरोपी पूजा पाठ करता था।और शांत ही रहता था। उसने घटना को कैसे अंजाम दिया होगा ये सोचकर सभी हैरान हैं।

घाना के चिड़ियाघर में शेर ने आदमी को मारा

अकरा (आरएनएस)। घाना के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को शेर ने मार डाला। घाना के वानिकी आयोग ने एक बयान में यह जानकारी देते हुये बताया कि राजधानी की हरित पट्टी में से एक अचिमोटा वन में स्थित चिड़ियाघर में अधिकारियों ने रविवार को नियमित गश्त के दौरान एक घुसपैठिए को देखा जो शेरों के बाड़े में सुरक्षा बाड़ से कूद गया था। बयान में कहा गया, घुसपैठिए पर एक शेर ने हमला किया और उसे घायल कर दिया। बाड़े की आंतरिक बाड़ के भीतर उसे घायल कर दिया गया था। उसकी मौत की पुष्टि की गई थी, और शव को मुर्दाघर भेज दिया गया है। आयोग ,आम जनता को आश्वस्त करना चाहता है कि कोई शेर चिड़ियाघर से नहीं भागा है, साथ ही कहा कि घुसपैठिए का मकसद ज्ञात नहीं हो सका है और मामले की जांच की जा रही है।

हिमाचल : कुल्लू में सिंगापुर के पर्यटक ने रूसी महिला से किया रेप, सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सिंगापुर के एक नागरिक द्वारा रूसी महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि कुल्लू जिले में एक रूसी महिला द्वारा सिंगापुर के एक व्यक्ति पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी पहचान अलेक्जेंडर ली जिया जून के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि रविवार को मनाली पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (बलात्कार) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि मनाली में अपनी मां के साथ रह रही पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। डीएसपी कुल्लू मोहन रावत ने बताया कि 28 अगस्त को एक रूसी महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि 26 अगस्त को सिंगापुर की एक नागरिक ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 376 आईपीसी के तहत दर्ज मामले की आगे की जांच की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम टिप्पणी... लिव-इन रिलेशनशिप और समलैंगिक रिश्ते भी परिवार

नई दिल्ली ,29 अगस्त (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक संबंध घरेलू, अविवाहित सहजीवन या समलैंगिक रिश्ते के रूप में भी हो सकते हैं। साथ ही अदालत ने उल्लेख किया कि एक इकाई के तौर पर परिवार की 'असामान्य' अभिव्यक्ति उतनी ही वास्तविक है जितनी कि परिवार को लेकर पारंपरिक व्यवस्था। यह भी कानून के तहत सुरक्षा का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि कानून और समाज दोनों में परिवार की अवधारणा की प्रमुख समझ यह है कि' इसमें एक मां और एक पिता (जो संबंध समय के साथ स्थिर रहते हैं) और उनके बच्चों के साथ एक एकल, अपरिवर्तनीय इकाई होती है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने एक आदेश में कहा, 'यह धारणा दोनों की उपेक्षा करती है, कई परिस्थितियां जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव ला सकती हैं। यह तथ्य कि कई परिवार इस अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। पारिवारिक संबंध घरेलू, अविवाहित सहजीवन या समलैंगिक संबंधों का रूप ले सकते हैं।' एससी की टिप्पणियां अहम हैं। 2018 में समलैंगिकता को शीर्ष अदालत की ओर से अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था। इसके बाद से ही कार्यकर्ता एलजीबीटी के लोगों के विवाह और सिविल यूनियन को मान्यता देने के साथ-साथ लिव-इन जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने के मुद्दे को उठा रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने एक फैसले में यह टिप्पणी की कि एक कामकाजी महिला को उसके जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश के वैधानिक अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके पति की पिछली शादी से दो बच्चे हैं और उसने उनमें से एक की देखभाल के लिए छुट्टी का लाभ उठाया था। न्यायालय ने कहा है कि कई कारणों से एकल माता-पिता का परिवार हो सकता है। यह स्थिति पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाने, उनके अलग-अलग रहने या तलाक लेने के कारण हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इसी तरह बच्चों के अभिभावक और देखभाल करने वाले (जो परंपरागत रूप से 'मां' और 'पिता' की भूमिका निभाते हैं) पुनर्विवाह, गोद लेने या दत्तक के साथ बदल सकते हैं। प्रेम और परिवारों की ये अभिव्यक्तियां विशिष्ट नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे अपनी पारंपरिक व्यवस्था की तरह ही वास्तविक हैं। परिवार इकाई की ऐसी असामान्य अभिव्यक्तियां न केवल कानून के तहत सुरक्षा के लिए बल्कि सामाजिक कल्याण कानून के तहत उपलब्ध लाभों के लिए भी समान रूप से योग्य हैं।

मातृत्व अवकाश को लेकर 1972 के नियमों का हवाला- पीठ की तरफ से फैसला लिखने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक वर्तमान मामले में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या नहीं अपनाई जाती, तब तक मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य और मंशा विफल हो जाएगी। अदालत ने कहा, '1972 के नियमों के तहत मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर बने रहने में सुविधा प्रदान करना है। इस तरह के प्रावधानों के लिए यह एक कठोर वास्तविकता है कि अगर उन्हें छुट्टी और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो कई महिलाएं सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर बच्चे के जन्म पर काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी।'

पीठ ने कहा कि कोई भी नियोक्ता बच्चे के जन्म को रोजगार के उद्देश्य से अलग नहीं मान सकता है और बच्चे के जन्म को रोजगार के संदर्भ में जीवन की एक प्राकृतिक घटना के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, मातृत्व अवकाश के प्रावधानों को उस परिप्रेक्ष्य में माना जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता (पेशे से नर्स) के पति की पहले भी शादी हुई थी, जो उसकी पत्नी की मृत्यु के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया था, जिसके बाद उसने महिला शादी की।

पीठ ने कहा, 'तथ्य यह है कि अपीलकर्ता के पति की पहली शादी से दो बच्चे थे, इसलिए अपीलकर्ता अपने एकमात्र जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की हकदार नहीं होगी। फैक्ट यह है कि उसे पहले की शादी से अपने जीवनसाथी से पैदा हुए दो जैविक बच्चों के संबंध में बाल देखभाल के लिए छुट्टी दी गई थी, यह एक ऐसा मामला हो सकता है जिस पर संबंधित समय पर अधिकारियों की ओर से उदार रुख अपनाया गया था। वर्तमान मामले के तथ्य भी संकेत देते हैं कि अपीलकर्ता के परिवार की संरचना तब बदल गई, जब उसने अपनी पिछली शादी से अपने पति के जैविक बच्चों के संबंध में अभिभावक की भूमिका निभाई।'

नीट पीजी पर सुप्रीम फैसला, न आंसर-की मिलेगी- न काउंसलिंग रुकेगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2022 का रास्ता साफ कर दिया है। अब इसमें कोई देर नहीं होगी। कोर्ट के फैसले के बाद तय समय पर ही नीट पीजी 2022 काउंसलिंग शुरू होगी। आज शीर्ष अदालत ने इस काउंसलिंग पर रोक लगाने और नीट पीजी में गड़बडिय़ों के आरोप से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हम छात्रों को खतरे में नहीं डाल सकते। नीट पीजी की काउंसलिंग तय समय पर होने दें।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के समक्ष नीट पीजी पर दाखिल याचिका लाई गई थी। याचिकाकर्ता ने नीट पीजी रिजल्ट 2022 में गड़बडिय़ों की आशंका जताते हुए एनबीई से स्पष्टीकरण की मांग की थी। कारण: नीट पीजी एग्जाम का संचालन करने वाले नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इस साल ऑनसर की और चेश्चन पेपर जारी नहीं करने का फैसला लिया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस परीक्षा में गंभीर गड़बडिय़ां हुई हैं।

नीट पीजी काउंसलिंग 1 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है। इसका हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने इस तारीख से पहले सुनवाई की अपील की थी। 29 अगस्त को केस लिस्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 'हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग समय से होने दें इसमें और देरी न करें। हम छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते।

भारी बारिश के कारण मकान ढहा, अबोध शिशु सहित तीन लोगों की मौत

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखण्ड के देहरादून में रविवार से रुक-रुक कर हो रही भारी बारिश होने के कारण सोमवार सुबह एक मकान के ढहने से अबोध शिशु सहित से तीन लोगों की मौत हो गयी। मरने वालों में दो महिलाएं भी शामिल हैं।

मकान ढहने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बचाव टीमों ने मलबे से तीनों शव बरामद कर लिये हैं। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिला अधिकारी (डीएम) दोनों मौके पर हैं।

अपर जिलाधिकारी, वित्त-राजस्व (एडीएम एफआर) कृष्ण कुमार मिश्रा ने बताया कि आज सुबह भारी बारिश के बीच मसूरी मार्ग पर, राजपुर क्षेत्र की काठ बंगला बस्ती में दिनेश का मकान अचानक ध्वस्त हो गया। जिससे उसकी 22 वर्षीया पत्नी , दिनेश की बहन लक्ष्मी (28) और दिनेश का आठ दिन पूर्व जन्मा अबोध शिशु मलवे में दब गये। मौके पर पहुंची राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की रेस्क्यू टीम ने मलवे से तीनों को मृत अवस्था में बरामद किया है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है।

उधर घटना की सूचना पर स्थानीय विधायक और सरकार में कृषि मंत्री गणेश जोशी, जिला अधिकारी (डीएम) सोनिका आदि भी मौके पर पहुंच गये। जिलाधिकारी ने इस बीच साईं मंदिर के समीप पेड़ गिरने के स्थान का मौका मुआयना करते हुए टीम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारी के साथ सौड़ा सरोली पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने पुल की सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस मौके पर माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौके पर मौजूद रहे। भारी बारिश के कारण उन्होंने मसूरी क्षेत्र में आज स्कूल बंद रखने के आदेश भी दिए हैं।

केरल भूस्खलन में बह गया परिवार

इडुक्की (आरएनएस)। केरल में सोमवार तडक़े चार बजे भूस्खलन में एक घर के बह जाने से एक ही परिवार के पांच सदस्य लापता हो गए।

सूत्रों ने बताया कि मूलमट्टम के पास कंजर की मलियेक्कल कॉलोनी में हुई इस दुर्घटना में परिवार के पांच सदस्य सोमन, उनकी पत्नी जया, उनकी बेटी शिमी, शिमी की चार साल की बेटी और सोमन की मां थंकम्मा लापता हो गये।

सूत्रों ने बताया कि बचाव और राहत कार्य जारी हे और थंकामा का शव आज सुबह बरामद कर लिया गया।

450 टैंकरों से धूल हटाने में अब तक 45 लाख लीटर पानी का हो चुका है इस्तेमाल

नोएडा (आरएनएस)। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के बाद अब सफाई का काम जोरों पर है। नोएडा प्राधिकरण सफाई कर्मचारी लगातार कल शाम से ही ट्विन टावर के आसपास की बिल्डिंग में पानी से जमी धूल मिट्टी को हटाने का काम कर रहे हैं। सुपरटेक एमराल्ड और एटीएस को धूल मुक्त बनाने के लिए अब 450 टैंकर पानी के यूज हो चुके हैं। जिसमें ब्लास्ट के बाद 350 टैंकर और सोमवार को सुबह से 150 टैंकर पानी साइट और आसपास डाला जा चुका है। ये पानी स्मॉग गन में भी प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक एक टैंकर की क्षमता करीब 10 हजार लीटर की है। ऐसे में 45 लाख लीटर पानी अब तक यूज हो चुका है। अभी भी कई जगहों पर काम किया जा रहा है। धूल के कारण चारों तरफ काफी मोटी परत जमा हो गई है। खासतौर पर आसपास के ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़ पौधों और सडक़ों पर जमी धूल को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्राधिकरण ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। क्योंकि अगर हवा का बहाव तेज होता है तो बार बार सफाई होने के बाद भी जमी धूल लोगो की परेशानी का कारण बन सकती है। इस धूल से लोगों को सबसे ज्यादा आंखो में जलन, सांस की परेशानी और त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए बारूद और सीमेंट के कड़ वातावरण में फैले हुए हैं। अगर मौसम अच्छा हुआ और बारिश होती है तो नोएडा अथॉरिटी का काम आधा हो जाएगा और खर्चा भी बचेगा।

मणप्पुरम में बड़ी लूट, बंदूक की नोक पर 24 किलो सोना व 11 लाख की नकदी लेकर 5 बदमाश फरार

उदयपुर (आरएनएस)। राजस्थान के उदयपुर में बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड से 5 नकाबपोश बमदाश बंदूक की नोक पर 24 किलो से ज्यादा सोना लेकर फरार हो गए है। सोने की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

मामला उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का था। सोमवार सुबह मणप्पुरम गोल्ड बैंक में पांच नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर आए हथियारों से लैस इन बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया और 23.45 किलोग्राम सोना व 11 लाख रुपए कैश लेकर भाग गए। इलाके में अफरा तफरी मचने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाने के आदेश दिए हैं।

बैंक अधिकारियों के मुताबिक 23.45 किलो सोना और 11 लाख रुपये कैश की लूट हुई है। एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि मणप्पुरम गोल्ड बैंक में लूट की वारदात हुई है। करीब 24 किलो सोना व 11 लाख रुपये लूटने की प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है। पुलिस ने कहा कि स्टाफ के सदस्यों ने छूटते ही घटना की सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यालय के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।

इस्तीफे के बाद आजाद का बड़ा बयान- कांग्रेस छोड़ने के लिए किया गया मजबूर, पार्टी को दुआ की नहीं दवा की जरूरत

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी व राहुल के भविष्य पर चिंता जाहिर करते हुए गुलाम नबी आजाद के कहा कि, घर वालों नें घर छोडऩे के लिए मजबूर किया, वहीं पार्टी के लिए मैं बस दुआ ही कर सकता हूं लेकिन मेरी दुआ से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। पार्टी के लिए दवा चाहिए और उसके लिए जो डॉक्टर है वह कंपाउंडर है। जबकि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए।

गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को शुक्रवार को 5 पन्नों का त्यागपत्र भेजा और पार्टी छोड़ दी। अपने पत्र में उन्होंने राहुल गांधी व पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़े जाने पर कहा कि, घर वालों ने ही घर छोडऩे को मजबूर कर दिया। जब घरवालों को लगे ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को लगे कि हमको पराया समझने लगे हैं तो व्यक्ति घर छोड़ कर चला जाता है।

हालांकि भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाए जाने पर गुलाम नबी आजाद नें कहा, नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो मोदी जी का सपना पूरा कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा था 'कांग्रेस मुक्त भारत', जिन लोगों नें कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में उनकी सहायता की, वो मोदी जी से मिले हुए हैं। लोकसभा में स्पीच देने के बाद, जो लोग उनसे गले मिलते हैं वो मिले है, मैं नहीं।

हाल ही में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मोदी-फाइड और डीएनए वाले बयान पर आजाद ने कहा कि, उनका क्या डीएनए है? किसी को नहीं मालूम, किस स्टेट से हैं? किसी को नहीं मालूम, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? यह नहीं मालूम। पहले वो अपना डीएनए चेक कराएं। वह तो कुछ साल पहले फ्रीलांसर थे? वह किस सरकार में काम कर रहे थे? किस-किस पार्टी में उनका क्या डीएनए रहा? जो हाउस में बैठ कर बीजेपी को स्लिप भेजते रहे।

हाउस में बीजेपी और उनके बीच में 100 स्लिपों का आदान-प्रदान होता था, अब वह चेक करेंगे हमारा डीएनए क्या है? सिर्फ चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए पद मिले हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगाए तो हमें बहुत दुख होता है।

राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकले आंसू पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे लिए नहीं रोये थे, वह एक घटना का जिक्र कर रहे थे। मैं उन्हें क्रूर समझता था लेकिन उन्होंने इंसानियत दिखाई। हम एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि हम उस घटना को लेकर रोए थे।

उन्होंने आगे कहा, मोदी तो बहाना है, इनकी आंखों में खटकते हैं। जिस दिन से हमने जी-23 का एक पत्र लिखा था। यह कहते थे कि हमको कोई पत्र लिखना नहीं चाहिए। जब हमने उनकी कार्यप्रणाली को लेकर चुनौती दी, तो उनकी आंखों में खटक रहे थे। उसके बाद कई बैठकें हुईं; हमसे एक सुझाव नहीं लिया गया।

हमने एक बैठक में कहा था, हमें कोई पद नहीं चाहिए, चुनाव को लेकर कैम्पेन कमिटी बनाइए, लेकिन ये कमिटी तब बनाते हैं जब चुनाव खत्म हो जाता है। हम जी-23 वाले कैम्पेन खुद करना चाहते थे, हम पार्टी से कोई सुविधा नहीं लेना चाहते थे, हमने मुफ्त काम करने के लिए कहा तो क्या यह कांग्रेस को बनाने के लिए मैंने कहा था या मोदी को बनाने के लिए?

होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और संगठन को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी का बैंक लुट गया है, बैंक में कुछ नहीं है। अब जनरल मैनेजर बदलने से क्या? वो खिडक़ी दरवाजे अलमारियों का मैनेजर होगा। कांग्रेस की भी यही हालत है। कांग्रेस में कुछ नहीं है, सब दूसरी पार्टी में भाग गए, यह हमसे कहते हैं कि पार्टी के बड़े जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, आर.पी.एन. सिंह .. राहुल गांधी गुजरात से नए लडक़े लेकर आए, वो भी चले गए। क्यों भाग गए? यह सब तो राहुल की टीम थे।

नई पार्टी बनाने को लेकर उन्होंने कहा, हमें पूरे देश से संदेश आते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनाओ, मैंने उसपर अभी कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मांग है कि पार्टी बनाई जाए और यह वह लोग बोल रहे हैं जो भाजपा, रिजनल पार्टी में नहीं जाना चाहते। हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है लेकिन विचाधारा नहीं छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हर दिन सिकुड़ती जा रही है। कांग्रेस से लोग इतना फस्ट्रेटेड हैं कि छोटे विकल्प में भी जाना चाहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनाने में अभी वक्त है उसके लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है। जम्मू-कश्मीर का हम तुरंत दौरा शुरू करेंगे।